86

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1461—दो/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—08—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 27/पुर्नावलोकन/2010—11.

.....

तसविरिया पत्नी चुनकाऊ कोल
निवासी ग्राम कुशहा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

——आवेदक

विरूद्ध

1— विटटन कोल पुत्री भेल्ली कोल
2— धोखिया पति अकलिया कोल
निवासी ग्राम कुशहा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—08—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता

1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण कमांक 538/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 20.1.11 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया था। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.8.2011 को निरस्त किया गया है, इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय तृतीय व्यवहार अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग –1 रीवा द्वारा दिनांक 1.9.03 को आवेदक का वाद निरस्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज अनुसार ही आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश उचित है। उनके द्वारा प्रकरण कमांक पुनरावलोकन निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 27/पुर्नावलोकन/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24.8.11 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर